

[1]

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 348/2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/458)

निर्णय दिनांक:- 3-10-25

1. अमरजीत सिंह पुत्र बीकर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 केएनडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

-अपीलांट

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 19-02-2004
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 19-02-2004 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा चक 3 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 157/23 तादादी 25 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तथा अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ 500/-रु. की धरोहर राशि जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर ली। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। तथा उसके पश्चात प्रार्थी/अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। इसलिए प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



[3]

नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोंडेंट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष चक 3 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 157/23 तादादी 25 बीघा भूमि के लिए विशेष आवंटन हेतु आवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी/अपीलांट मौके पर अनुपस्थित रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत प्रस्तुत किये थे तथा केवल मात्र 35 प्रतिशत राशि रूपये 114888/- जमा नहीं करवाने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नोटिस की दो प्रतियाँ उपलब्ध हैं परन्तु उस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता उपलब्ध नहीं है। इससे यह तथ्य उभरकर आते हैं कि अपीलांट को नोटिस



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



[4]


की तामील नही हुई है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:-

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner allotted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar - Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.



अतः उक्त नियम के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर का आदेश दिनांक 19-02-2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 3-10-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर